


06
१४/२५

प्राथिचा अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची सि. 1
के संबंध में प्राथिचा पत्र पेश हो। पत्रावली
में ग. 1 की अवधि आगामी पेशी तक
बंदि जाती है। पत्रावली वास्तु पेश
करने प्राथिचा पत्र दिनांक 5/7/24
को पेश हो।

Not Press

नरेन्द्र का



5/7/24 प्राथिचा अधिवक्ता उपस्थित। प्राथिचा
व प्राथिचा अधिवक्ता के द्वारा प्राथिचा
पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA गोटप्रेस
किया। प्राथिचा व प्राथिचा अधिवक्ता
को सूना गया। व पत्रावली का
अवलोकन किया गया। प्राथिचा के द्वारा
प्राथिचा पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA
गोटप्रेस करने पर प्रकरण इसी स्तर
पर खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी
अश्याही निवेदाना दिनांक 20/05/24
भी गिरस्त की जाती है। पत्रावली निर्गति
होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हुवा है।

उपस्थण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर